संख्या – 09 / 1–10–2010–12(34) / 2003

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2011

विषयः **वर्ष 2010–11 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यो हेतु धनावंटन।**

महोदय,

राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–4024 / 1–10–2010–14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 जोकि मख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है, के कम में उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32–34 / 2007–एन0डी0एम0आई0 दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाईन के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accommodation, Food, Clothing, Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 50,000 / –(रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील की दर से कुल धनराशि रू0–1,56,00,000 / –(रूपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र) संलग्न सूची के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी के निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रो के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाईड लाईन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाये इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

2– व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, क्रय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4– आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी0आई0–134 / 1–11–2007–46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय

निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5— उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2010—11 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6-- आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा--जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2011 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 तक शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

7— उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नकः—यथोक्त

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या – 09 / 1—10—2010—12(34) / 2003 दिनांकः 06 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
5— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—5
6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या– 09 / 1–10–2011–12(34) / 2003, दिनांक 06.01.11 का संलग्नक

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
1 सहारनपुर	1 सहारनपुर	5	250000
	2 मुजफ्फरनगर	6	300000
2 मेरठ	3 मेरठ	3	150000
	4 गाजियाबाद	4	200000
	5 बुलंदशहर	7	350000
	6 गौतमबुद्धनगर	3	150000
	7 बागपत	3	150000
3 आगरा	8 आगरा	6	300000
	9 मथुरा	4	200000
	10 फिरोजाबाद	4	200000
	11 मैनपुरी	3	150000
4 अलीगढ़	12 अलीगढ़	5	250000
	13 एटा	3	150000
	14 कांशीरामनगर	3	150000
	15 महामायानगर	4	200000
5 बरेली	16 बरेली	6	300000
	17 बदायूँ	6	300000
	18 शाहजहांपुर	4	200000
	19 पीलीभीत	3	150000
6 मुरादाबाद	20 मुरादाबाद	6	300000
	21 रामपुर	6	300000
	22 बिजनौर	5	250000
	23 ज्योतिबाफूलेनगर	3	150000
7 कानपुर	24 कानपुर	3	150000
	25 कानपुर देहात	5	250000
	26 इटावा	5	250000
	27 फर्रूखाबाद	3	150000
	28 कन्नौज	3	150000
	29 औरैया	2	100000
8 इलाहाबाद	30 इलाहाबाद	8	400000
	31 फतेहपुर	3	150000
	32 प्रतापगढ़	5	250000
	33 कौशाम्बी	3	150000
9 झाँसी	34 झांसी	5	250000
	35 ललितपुर	3	150000
	36 जालौन	5	250000
10 चित्रकूटधाम	37 हमीरपुर	4	200000
	38 महोबा	3	150000

	39 बांदा	4	200000
	40 चित्रकूट	2	100000
11 वाराणसी	41 वाराणसी	2	100000
	42 जौनपुर	6	300000
	43 गाजीपुर	5	250000
	44 चन्दौली	3	150000
12 मिर्जापुर	45 मिर्जापुर	4	200000
	46 सोनभद्र	3	150000
	47 संतरविदासनगर	3	150000
13 आजमगढ़	48 आजमगढ़	7	350000
	49 मऊ	4	200000
	50 बलिया	6	300000
14 गोरखपुर	51 गोरखपुर	7	350000
	52 महाराजगंज	4	200000
	53 देवरिया	5	250000
	54 कुशीनगर	4	200000
15 बस्ती	55 बस्ती	4	200000
	56 सिद्धार्थनगर	5	250000
	57 संतकबीरनगर	3	150000
16 लखनऊ	58 लखनऊ	4	200000
	59 उन्नाव	5	250000
	60 रायबरेली	5	250000
	61 सीतापुर	6	300000
	62 हरदोई	5	250000
	63 खीरी	6	300000
	64 छत्रपति साहू जी महाराज नगर	5	250000
17 देवीपाटन	65 गोण्डा	4	200000
	66 बहराइच	4	200000
	67 बलरामपुर	3	150000
	68 श्रावस्ती	2	100000
18 फैजाबाद	69 फैजाबाद	5	250000
	70 सुल्तानपुर	4	200000
	71 बाराबंकी	6	300000
	72 अम्बेडकरनगर	5	250000
	कुल योग	312	15600000

(रूपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)

(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।